cular incident has shaken the confidence of the people in the law and order machinery of the Government. Unless the law and order machinery is pulled up, the situation will go from bad to worse. We are having the same situation in Kashmir, in Punjab and in other places. We cannot allow the situation to go into the hands of the vested interests and the right reactionaries. I hope the hon. Home Minister will go into it and find out why it happened. And if it is so, the law and order situation should be brought to an extent that the people feel confident about their safety and about their security in the State.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Damage caused to life, property and crops by recent floods in various parts of the country

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, हाल में आई बाढ़ के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में जान, माल और फसलों को हुए नुक्सान तथा इस मामले में सरकार द्वारा किये गये राहत कार्यों की ओर मैं कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Mr. Deputy Chairman, Sir, This year the south-west monsoon broke up slightly earlier than the scheduled date of 1st June, in Kerala. Initially, it was very active and at times vigorous, almost throughout the coast of Arabian Sea as well as in Himalayan and sub-Himalayan regions of the country thus resulting in floods in some parts of Kerala, U.P., Bihar, West Bengal, Tripura and Assam.

According to the latest information available, 10 States, namely, Assam, Bihar, Kerala, Manipur, Orissa, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Haryana, Karnataka and Gujarat are reported to have been affecetd by floods in varying degrees. As per information made available by the State governments, 81 districts covering a population of 117.22 lakhs and spread over an area of 23.33 lakh hectares are reported to have been affected by floods so far. The total cropped area reported to be affected is 4.73 lakh hectares and the number of houses damaged are placed at 3.71 lakhs. The number of human lives lost are reported to be 235. The number of cattle-head lost are reported to be 2490.

Whereas floods in Assam, Orissa, Tripura, Uttar Pradesh, Gujarat, Haryana, Bihar, Manipur and Kerala were on account of heavy rains, the floods in West Bengal have largely been caused by a breach in Mahananda river in Katihar district of Bihar, thus affecting districts like Malda in West Bengal.

Adequate relief measures were taken by the States to give help and succour to the affected people. The help of Army was also requisitioned in the States of Assam, Bihar, Tripura and West Bengal for rescue and relief operations.

All the States have margin money at their disposal to meet the relief expenditure and only when the expenditure is likely to be more than the margin money available with them, the States request Government of India in the form of a memorandum, for Central assistance. So far only the States of Tripura, Kerala and Manipur have submitted their memoranda seeking Central assistance. A Central Team has already visited the State of Tripura for an 'on-the-spot' study and their report is under processing. The request from Kerala has been received only on the 18th of July and a Team shall be leaving on 1st August, 1984 for an 'on-the spot study to make recommendations for Central assistance. The request of Manipur is being considered in a meeting of Inter-Ministerial Group on 27th July, 1984. Pending the visit of the Team, Rs. 5 crores have been sanctioned to the Government of Kerala as a ways and means advance on 'ad-hoc' basis to meet the emergent expenditure. Similarly Rs. 3 crores

[Shri Yogendra Makwana]

have been sanctioned to the Government of Tripura on 'ad-hoc' basis pending the sanction of the ceiling of Central assistance. Rs. 7 lakhs to U.P., Rs. 10 lakhs to Bihar and Rs. 5 lakhs each to the States of Assam, Kerala and Tripura have also been sanctioned by the Prime Minister from her National Relief Fund for helping the affected people. No other request from any State for any type of Central assistance has been received so far.

I shall also like to inform the Hon'ble Members that on the 11th July, 1984 the contingency plans prepared by different States to meet natural calamities were reviewed in the Ministry of Agriculture. This meeting was attended by the Relief Commissioners of different States and the representatives of Central Ministers concerned. The States informed us that they have drawn up contingency plans to meet any eventuality arising from natural calamities.

I would like to assure the Members that suitable action shall be taken on receipt of any request for Central assistance from the affected States.

श्री राम नरेश कुशवाहा : उपसभापति महोदय, बाढ़ और सूखा हमारे देश में किसानों के लिए परमानेंट समस्या बनी हुई हैं। इस साल तो बाढ़ जून और जुलाई में ही आ गई है जबकि हमारे यहां पहले सितम्बर-अक्तूबर में बाढ़ आती थी। नतीजा यह हुआ है कि नदियों के पेटे में दीवार में जो भी फसल कुछ अर्ली वरायटी की लोग बो देते थे और बाढ़ आने के पहले उस में से कुछ न कुछ तैयार हो जाता था वह भी सहारा लोगों का चला गया चारा का सहारा चला गया और पानी इतना जम गया है बहुत जगहों पर कि नयी फसल लगाने के लिए जो धान के देहन वगैरह डाले गये थे अधिकांश जगहों पर और कुछ इलाकों में देहन बढ़ा ही नहीं था और फसल भी पिछड़ गई। लगातार वर्षा के कारण जो मकई की फसल बोई गई है उसकी निराई भी नहीं हो पाएगी। लगता है कि उसका भी भविष्य अंधकारमय है। हमारे यहां जब यह मानी हुई बात है कि सूखा और बाढ़ हमेशा किसी न किसी तरह से हर साल खेती को बरबाद करते हैं लेकिन फिर भी इसके लिए कोई स्थाई हल नहीं निकाला गया है। मंत्री जी ने बताया और हम लोगों की सूचना के अनुसार 10–11 राज्यों में अभी तक बाढ़ आ चुकी है। जितनी बाढ़ें आई हैं इन में से अधिकांश जगहों पर बान्ध टूटने से आई हैं। बांध आपने बनाया है और वह टूट गया। छोटी-मोटी दरारें नहीं आईं, 15 सौ मीटर तक की दरारें हैं। यह क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो उनकी मरम्मत में लापरवाही होती है और दूसरा भ्रष्टाचार होता है। मरम्मत के नाम पर जो भी पैसा रखा जाता है वह कागजों में खर्च हो जाता है लेकिन वास्तव में खर्च नहीं होता है। हमारे यहां छितौनी बान्ध है। उसको हम लोग कमाऊ-खाऊ बान्ध कहते हैं। वह 14 लाख में बना था लेकिन उस पर 67 तक 140 करोड़ खर्च हो चुका था। अब पता नहीं आज तक कितना खर्च हो गया है। लेकिन उस बान्ध का यह पता नहीं चलता कि कब टूटेगा क्योंकि बाढ़ राहत कार्य और निर्माण कार्य जब शुरू होते हैं जब नदियों में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। कागजों मे फर्जी हिसाब कर के सब भुगतान कर लिया जाता है और बाढ़ राहत का कोई काम नही होता है। इस साल बड़ी गण्डक का पिपरासी बान्ध टूट गया है और बिहार के मधुबनी और ठकहरा दो ब्लाक डूब गये और हमारे देवरिया जिले के परड़ौना तहसील के सारे के सारे 70 गांव डूब गये। बिहार सरकार से बार-बार कहा जाता है लेकिन पिपरासी बान्ध की मरम्मत नहीं होती है और हर साल उसके टूटने से हमारे देवरिया जिले का बहुत बड़ा भाग डूब जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम होनी चाहिये। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अगर बिहार अपने बान्ध की मरम्मत

हीं कराता है और बिहार के लोग भाग कर उत्तर प्रदेश आते हैं और उत्तर प्रदेश की समस्या है हीं जितने लोग लावारिस बेघरबार हो जाते हैं उनकी परवरिश करनी पड़ती है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार जितनी डुबाती है और नुक्सान कराती है हमारे उत्तर प्रदेश में उस सब का मुआवजा दे। जहां तक बान्धों का सवाल है बान्धों से बाढ़ का सही हल नहीं होगा।

बांध बनाये जाते हैं लेकिन उनमें थोड़े दिनों के बाद सिल्ट भर जाता है, पानी पड़ने से बांध भी उठता जाता है और कुछ दिनों के बाद नदियों का पेटा ऊपर हो जाता है, पानी छिछला हो जाता है फिर बांध को ऊपर करना पड़ता है और यह क्रम लगातार जारी रहेगा। अगर यह बराबर जारी नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से किनारे टूटेंगे और बाढ़ आयेगी और बांध के कारण जब बाढ़ आती है तो कई गुना वेग से आती है क्योंकि कई जगहों से नहीं, एक जगह से टूटता है और वहां पानी एक ही जगह छितरा जाता है और पूरे आस-पास के सारे क्षेत्र डूब जाते हैं। अगर बांध है तो दोनों तरफ चालू रखना पड़ेगा। बांधों के ऊपर हमेशा कुछ न कुछ मिट्टी डालनी पड़ेगी ताकि नदियों का पेटा जितना ऊंचा हो जाता है तो बांध भी उतना ऊंचा हो जाये नहीं तो नदियों की सफाई करानी होगी। नदियों में सिल्ट भरा हुआ है तो उसको निकलवाना पड़ेगा, नहीं निकलवाएंगे तो नदियों का पेटा भर जाने के बाद वह बांध किसी काम का नहीं रहेगा। इस लिए बांध से अच्छा बाढ़ को रोकने का उपाय है कि गांवों की सतह को ऊंचा कर दिया जाये और लिंक रोड बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी जाये ताकि कोई गांव बाढ़ में डूब करके अन्य क्षेत्रों से कटे नहीं। जगह-जगह सड़कें हो जायें, गांव का स्तर ऊंचा हो जाये तो इसका दोहरा फायदा होगा एक तो पानी छितराएगा और जैसे पहले बाढ़ आती थी उसी तरह से बाढ़ आयेगी दूसरा पानी ऊपर नहीं जायेगा और सिल्ट जो है वह चारों ओर खेतों में छितराएगी तो कम से कम नुकसान भी होगा और फसल भी अच्छी होगी।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बाढ़ का क्षेत्र बराबर बढ़ता चला जा रहा है, ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : वैसे ही कह लो जबानी, क्या किताब खोल रहे हो।

श्री राम नरेश कुशवाहा : जरा सुन लीजिए, घबड़ाइये नहीं। यह बाढ़ आयोग की रिपोर्ट है एफेक्टेड एरिया बाई फ्लड्स इन इंडिया। 1953 में 9.3 लाख हेक्टर क्राप एरिया रहा, 1954 में 26.5, 1955 में 54 लाख हैक्टर, 1956 में 21 लाख हेक्टर, 1957 में 4.5 लाख हेक्टर, 1958 में 14.9 लाख हेक्टर यानी इस तरह से बढ़ते बढ़ते 1978 में 100.5 लाख हेक्टर एरिया बढ़ गया बाढ़ का।

बाढ़ से बचाव का जो काम हुआ वह बिल्कुल नगण्य हुआ। यह जो क्राप एरिया का नुक्सान हुआ यह एवरेज है। 1953 में 15.66 से बढ़कर अब 57.63 हो गया। सारे देश में पहले जहां 59.4 लाख हेटकर नुकसान होता था वहां अब 174.4 हेक्टर होने लगा है। बाढ़ से रक्षा के लिए मैं आपसे क्या बताऊं। सबसे ज्यादा स्थिति खराब है हमारेउत्तर प्रदेश की। यहां पर 76 दशमलव कुछ लाख हेक्टर नुक्सान होता है और बाढ़ से रक्षा की गयी केवल 7 दशमलव कुछ लाख हेक्टर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक यह क्षेत्रफल क्यों बढ़ता गया। बाढ़ का क्षेत्रफल ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों बढ़ता क्यों गया? इसका कारण यही है कि जब बांध के चारों ओर पानी फैलता है तो ज्यादा एरिया में फैलता है। दूसरी चीज यह है कि जो निर्माण का काम हुआ है, सड़क, बांध, पुलिया या जो कुछ भी वह जगह-जगह प्राकृतिक पानी का अवरोध हो गया है। प्राकृतिक पानी का रास्ता रोक दिया गया है। हमारे इंजीनियर

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

लोग भी बहुत अक्लमंद हैं पानी के बहाव को जेम्युइन नहीं मानते हैं, गांव के लोगों की बात को नहीं सुनते हैं। ये अपने सूत्र लगा करके चाहे जिसे जहां मन करता है कहीं पुल बना देते हैं और जहां मन करता है पानी के बहाव को रोक देते हैं। नतीजा यह होता है कि हर सड़क, नहीं और पुल-पुलिया के पास और ट्यूबवैल की नाली के पास जब भारी वर्षा होती है, तो वहां पानी रुक जाता है और वहां वाटर-लागिंग हो जाता है और जल का जमाव हो जाता है और सारे की सारी फसल का नुकसान हो जाता है।

तो, मान्यवर, इस तरह से एरिया बढ़ता गया है और नुकसान का अंदाजा इसी से आप लगायेंगे कि प्रति वर्ष 90 लाख हेक्टर बाढ़ से प्रभावित होता है। यह बाढ़ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक है।

1953 से 1983 के बीच में बाढ़ से 14,200 करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी है, लगभग प्रति वर्ष 460 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रति वर्ष 9 अरब रुपये की क्षति होती है। बाढ़ के लिए 1954 से 1983 तक उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण के लिए कुल 83 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो हालत है, वह तो है ही है, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो इन्हीं की सरकार है, चौथे साल 250 करोड़ के आस-पास मांगा था सूखे की सहायता के लिए, पर एक नया पैसा नहीं दिया गया।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : कितना ?

श्री राम नरेश कुशवाहा : 250 करोड़ रुपया श्री श्रीपत् मिश्र की सरकार ने सूखे की सहायता के लिए मांगा था, पर एक नया पैसा नहीं दिया गया। पिछले साल भी पर्याप्त सहायता उत्तर प्रदेश को नहीं दी गई है और इस साल तो प्रारम्भ में ही बाढ़ आ गई है और सारा उत्तर प्रदेश तबाह है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। पहली बार तो कहा गया था, जब हमने पूछा था—तो मंत्री जी ने कहा था कि भाई, वहां से तो कोई रेकार्ड ही नहीं आता है, कोई नुकसान का डेटा नहीं आता है, समय से नहीं आता है, तो क्षतिपूर्ति कैसे की जाए ?

तो, मैं तो कहूंगा कि सरकार यहां भी आपकी ही है और वहां पर भी आपकी ही है, बीच में हम सारे मारे जाते हैं। एक मसल है—

"तुम हमको कहो हाजी, हम तुमको कहें हाजी,
लेकिन है सचमुच दोनों पाजी।"

तो, मान्यवर, यह दोनों पाजी आपस में मिल कर के लड़ते हैं और हम लोगों को, जनता को दुर्दशा होती है।

राव वीरेन्द्र सिंह : यू० पी० वालों को क्या कह रहे हैं, देख लीजिए।

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है... (*व्यवधान*) यह शब्द जो है, असंसदीय है।

श्री राम नरेश कुशवाहा : इसमें क्या प्वाइंट आफ आर्डर है . . . (*व्यवधान*) मैं सरकार को कह रहा हूं।

श्री उपसभापति : किसी आदमी को रेफर नहीं किया गया है।

राव वीरेन्द्र सिंह : चेयर का तो लिहाज करिए।

श्री राम नरेश कुशवाहा : मैं नहीं समझता कि इसमें क्या प्वाइंट आफ आर्डर है, क्या असंसदीय है ?

श्री रामानन्द यादव : यह असंसदीय है या... (*व्यवधान*) बोलने के लिए तो असंसदीय होगा... (*व्यवधान*)

श्री राम नरेश कुशवाहा : नहीं, यह असंसदीय नहीं है।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त करिए।

श्री राम नरेश कुशवाहा : मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में, या उत्तर भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए कई स्तर पर योजनाएं चलानी पड़ेंगी और इसके लिए जो नदियां हिमालय से आती हैं, उनके लिए जल रोकने के लिए बांध बना कर के बिजली पैदा की जाए, नहर बना करके सिंचाई की व्यवस्था की जाए और पानी को जब स्टोर किया जाएगा, तो बाढ़ की भी विभीषिका कम होगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो त्रिशूली की योजना... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आप हर प्रांत के बारे में बोलिए।

श्री राम नरेश कुशवाहा : करनाली और त्रिशूली, सब पर बोल रहा हूं, लेकिन सबों की जगह तो नहीं याद है।

मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर भारत में जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती हैं, उन सब में बांध बना करके बिजली पैदा की जाये, नहर बना करके पानी दिया जाये और उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाये।

नेपाल सरकार से जो स्थान नेपाल में पड़ते हैं--मैं नहीं समझता की बालू, करनाली और त्रिशूली योजनाओं का क्या हुआ। अगर यह योजनायें चालू हो जायें, तो मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ विभीषिका आधी हो जाएगी। **(समय की घंटी)**।

श्री उपसभापति : ठीक है, अब आप समाप्त करिए।

श्री राम नरेश कुशवाहा : तो मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप कोई न कोई उपाय ऐसा जरूर करिए कि जल्दी से जल्दी नेपाल सरकार से उत्तर प्रदेश या बिहार या असम, जहां-कहीं भी कोई बाढ़ की योजना बनने वाली है या आपके दिमाग में है उसका फैसला जल्दी हो जाए और उसको जल्दी कार्यान्वित करें। अगर नहीं होगा तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार तो तबाह हो ही रहे हैं। देश भी तबाह हो जाएगा। 1 P.M.

श्री उपसभापति : समाप्त करिए।

श्री राम नरेश कुशवाहा : ठीक है, मैं समाप्त करता हूं। मान्यवर हर साल तेल, नमक, दियासलाई और पता नहीं क्या-क्या है उसमें ज्यादा पैसा खर्चा होता है और बाढ़ नियंत्रण में बहुत कम पैसा खर्च होता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप तो जो भीख देने लायक हैं उन्हें दीजिए। और जो लेने लायक हैं लीजिए लेकिन इस पैसे का अधिक से अधिक सदुपयोग स्थायी काम पर कीजिए जिससे कि बाढ़ रुके। अगर यह नहीं होगा तो मान्यवर सूखा और बाढ़ कभी भी इस देश को चैन से रहने नहीं देगी। अब मैं क्या कहूं, झगड़ा है, अगर फसल अच्छी हो जाए तो आपकी योजना ने अच्छा काम किया है, इन्दिरा जी की नीतियों से फायदा हो गया। अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गयी तो इन्द्र ने बदमाशी किया। तो मान्यवर इन्द्र तथा इन्दिरा के झगड़े से समूचा देश तबाह हो रहा है और हो जायेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जल्दी से जल्दी बाढ़ का स्थायी हल निकालें और जल्दी से जल्दी हमारे सारे देश को बाढ़ और सूखे से बचाने का प्रबन्ध करें।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल सरकार के साथ क्या-क्या बातचीत हुई है और इन बांधों के

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

बारे में कड़ी कहां तक आगे बढ़ी है। साथ ही साथ यह भी बतायें कि बाढ़ का स्थायी हल क्या कर रहे है ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now. Mr. S. W. Dhabe.

महाराष्ट्र में तो बाढ़ आई नहीं, या आयी है ?

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Sir, if you say that there are no floods in Maharashtra but it has always been affected by floods. Sir, my observations about this discussion that the statement given about West Bengal is totally wrong.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall continue this Calling Attention Motion after 5.00 p.m.

सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI SAROJINI MAHISHI) in the Chair.

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS DURING THE WEEK COMMENCING 30TH JULY, 1984.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KALP NATH RAI): With your permission, Madam, I rise to announce that the Government Business in this House during the week commencing 30th July, 1984, will consist of:

1. Consideration and passing of:

(a) The University Grants Commission (Amendment) Bill, 1984.

(b) The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Amendment Bill 1983.

2. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha:—

(a) The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1984.

(b) The Electricity (Supply) Amendment Bill, 1984.

(c) The Levy Sugar Price Equalisation Fund (Amendment) Bill, 1984.

(d) The Estate Duty (Amendment) Bill, 1984.

(e) The Multi-State Cooperative Societies Bill, 1984.

(f) The Industrial Reconstruction Bank of India Bill, 1984.

(g) The Bengal Immunity Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1984.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Now, Resolution No. 1. Mr. Hansraj Bhardwaj.

RESOLUTION REs APPOINTMENT OF A JUDICIAL REFORMS COMMISSION

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): Madam Vice-Chairman, before I take up my Resolution, I would like to welcome you as one of the Vice-Chairman of this House. We have all known you. You have had a long career as a parliamentarian and Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs. We take this opportunity to welcome you here as Vice-Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI): Thank you.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Madam Vice-Chairman, I move the following Resolution:

"Having regard to the fact that the existing judicial and legal system needs wide ranging reforms so as to become an effective instrument of social change and also to provide socio-economic justice to the under-privileged and the weaker sections of our society, this House